

**बिहार सरकार**  
**नगर विकास एवं आवास विभाग**  
**अधिसूचना**

सं०सं०-01/स्था० (विविध)-34/2022 (पार्ट) /न०वि०एवंआ०वि०,पटना,दिनांक-

सुश्री/श्रीमती स्वरा, उप नगर आयुक्त, नगर निगम, मुजफ्फरपुर को बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-41 के अन्तर्गत अपने कार्यों के अतिरिक्त नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, काँटी का प्रभार दिया जाता है।

2. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह०/-

(परमानन्द पाण्डेय)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-01/स्था० (विविध)-34/2022 (पार्ट) 9407 /न०वि०आ०वि०, पटना/दिनांक-04/09/2022

**प्रतिलिपि:**-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

**प्रतिलिपि:**-महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/ जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/नगर आयुक्त, नगर निगम, मुजफ्फरपुर/सुश्री स्वरा, उप नगर आयुक्त, मुजफ्फरपुर/नगर परिषद, काँटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि:**-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आई० टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।